न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 31/2022 GCMS NO 2022/48

1. सीताराम पुत्र अर्जुन जाति खारवाल निवासी उदई कलां
2. मानसिह पुत्र रामजीलाल
3. कमलेश पुत्र रामजीलाल जातियान खारवाल निवासी उदई कलां
4. प्रभू पुत्र नानग्या
5. लक्ष्मण पुत्र नानग्या जातियान खारवाल निवासी उदई कला
6. रामेश्वर पुत्र लल्लू
7. गिर्राज पुत्र लल्लू जातियान ब्राहम्ण निवासी उदई कलां
8. राजमोहन पुत्र लोहडिया जाति जाटव निवासी उदई कलां
9. परभाती पुत्र गेंदया
10. बत्तीलाल पुत्र रतलियां उर्फ रतनिया
11. बाबूलाल पुत्र रतलिया उर्फ रतनिया
12. हिरबान पुत्र जगन जातियान जाटव निवासी उदई कलां
13. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी उदई कलां

अपीलांट

बनाम

1. मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज, विराजमान गंगापुर सिटी जरिये पुजारी व्यवस्थापक 1. गोविंद 2. देवेन्द्र 3. बैजनाथ पुत्रगण रामभरोसी चौबे जाति ब्राहम्ण निवासी मंदिर री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान गंगापुर सिटी
2. रामू पुत्र मुन्ना जाति मीना निवासी उदई कलां
3. राजकुमार पुत्र मुशी
4. धर्मेन्द पुत्र मुशी
5. नाथ्या पुत्र रामरतन
6. सूरज सिह पुत्र घूडया जातियान पूर्विया निवासी उदई कलां
7. सत्यनारायण उर्फ सतानंद पुत्र स्व0 रामजीलाल
8. भगवान पुत्र रामप्रसाद
9. भौरया पुत्र रामप्रसाद
10. भरोसी पुत्र रामप्रसाद
11. मदन पुत्र रामरतन
12. कल्लू पुत्र रामरतन
13. गोरधन पुत्र भौरया जाति खारवाल निवासी उदई कलां
14. मनसुख पुत्र लल्लू
15. बब्बू पुत्र लल्लू
16. ओमप्रकाश पुत्र लल्लू जातियान ब्राहम्ण निवासी उदई कलां
17. खेमराज पुत्र बुद्वि
18. रामकिशन पुत्र बुद्वि
19. गंगाराम पुत्र हीरा
20. मोहन पुत्र देवचंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

21. बत्तीलाल पुत्र सुकलो
22. यादराम पुत्र सुकलो
23. पूरण पुत्र मूडया
24. हरफूल पुत्र बाल्या
25. गोरधन पुत्र काना
26. मौसम पुत्र मूलचंद
27. कल्ला पुत्र झूता
28. बुद्वा पुत्र झूता
29. सोन्या पुत्र नानगा
30. जसराम पुत्र मूल्या उर्फ मूडया जातियान जाटव निवासीयान उदई कलां
31. तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 136/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.2021 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री महेश अग्रवाल
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 8.4.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.2021 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद पत्र घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती ,आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान गंगापुर सिटी की खातेदारी की भूमि खेवट खतौनी संख्या 299 के हाल खसरा न0 2337 रकबा 0.03 है0, 2339 रकबा 0.40 है0, 2339/6194 रकबा 0.46 है0, 2340 रकबा 0.43 है0, 2357 रकबा 0.09 है0, 2358 रकबा 0.17 है0, 2360 रकबा 0.52 है0, 2362 रकबा 0. 73 है0, 2363 रकबा 0.16 है0, 2364 रकबा 0.15 है0, 2365 रकबा 0.13 है0, 2366 रकबा 0.34 है0, 2367 रकबा 0.41 है0, 2368 रकबा 0.34 है0, 2369 रकबा 0.37 है0, 2370 रकबा 0.36 है0, 2371 रकबा 0.41 है0, 2372 रकबा 0.30 है0, 2373 रकबा 0.65 है0, 2374 रकबा 0.29 है0, 2375 रकबा 0. 40 है0, 2376 रकबा 0.32 है0, 2377 रकबा 0.39 है0, 2378 रकबा 1.04 है0 कुल किता 24 कुल रकबा 8.89 है0 एवं खेवट खतौनी संख्या 234 के खसरा न0 की भूमि ख0न0 504 रकबा 0.57 है0 , 1770 रकबा 0.31 है0 1771 रकबा 0.23 है0, 1772 रकबा 0.24 है0, 1773 रकबा 0.22 है0, 1774 रकबा 0.24 है0, 2155 रकबा 0.23 है0, 2156 रकबा 0.33 है0, 2159 रकबा 0.54 है0, 2160 रकबा 0.46 है0, 2161 रकबा 0.45 है0, 2162 रकबा 0.27 है0, 2163 रकबा 0.35 है0, 2163/6356 रकबा 0.17 है0, 2164 रकबा 0.17 है0, 2165 रकबा 0.44 है0, 2381 रकबा [illegible] कुल किता 17 कुल रकबा 5.51 है0 कुल दोनो खेवट खतौनी का रकबा 14.40 है0 है। हाल ख0न0 2158 रकबा 0.13 है0 ग्राम उदई कलां मंदिर गोपीनाथ जी की खातेदारी की भूमि [illegible] पुजारी श्यामसुन्दर पुत्र गोवर्धनलाल के नाम लग गई है। और उक्त भूमि पूर्व मे ही मंदिर गोपीनाथ जी की खातेदारी की रही है। पुजारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नाम गलत इन्द्राज हो गया है और भूमि मंदिर की है। उक्त मंदिर के पुजारी व्यवस्थापक श्री श्यामसुन्दर पुत्र स्व0गिरधर लाल चौबे थे उनका स्वर्गवास होने से उनकी जगह जरिये वसीयत प्रार्थी मंदिर गोपीनाथ जी पुजारी हैऔर मंदिर की भूमि व जायदाद की देखभाल व सेवा पूजा व संरक्षण का दायित्व प्रार्थी का है। मंदिर गोपीनाथ जी खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 39 को साजा बांटा पर काश्त करने के लिए बताई गई थी जिससे मंदिर की व्यवस्था होती रही है। प्रतिवादीगण द्वारा आधे बट की काश्त प्रार्थी को नही दिये जाने एवं हाल ख0न0 2158 की खातेदारी गलती से मंदिर की जमीन पुजारी के नाम लग जाने के कारण भूमि को प्रतिवादीगण रहन बय डेमेज करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि भूमि को रहन बय डेमेज नही करे तथा खसरा न0 2158 रकबा 0.13 है0 उदई कलां का वादी को खातेदार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कर भूमि को खाली करवाकर कब्जा पुजारी को संभलाया जावे । इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल मे उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र तथाकथित पुजारी रामभरोसी द्वारा वाद पत्र मे पक्षकारो के असंयोजन व कुसंयोजन का दोष अपनाते हुए दावा दायरी से पूर्व ही मरे हुए पक्षकारो पर दावा पेश किया गया था तथा कुछ पक्षकारो की साजिशी तामिल करवाते हुए एक तरफा कार्यवाही कराई गई तथा कुछ पक्षकारो को जरिये समाचार पत्र साजिशी तामिली करवाकर एक तरफा कार्यवाही की गई। दावा पक्षकारो की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नही लाया गया तथा मृतक व्यक्तियो के विरूद्व डिक्री साजिशी तरीके से प्राप्त की है। जिसके आधार पर रेस्पो0 पुजारीगण वादग्रस्त भूमि के विधिक कब्जाधारी काश्तकारो को विधि विरूद्व तरीके से इजराय की कार्यवाही के तहत वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दोषपूर्ण होने,मनमाना होने एवं विधिं विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कारण दिनांक 25.8.08 को झूठे वादकारण का अंकिन करते हुए पेश किया है। दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही वाद पत्र का प्रतिवादी मुन्ना दिनांक 6.9.08 को फौत हो चुका है। जिसका विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 2 बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 30 कन्हैया, 31 रामसहाय, 25 मूल्या उर्फ मूडया, 36 रतनिया, 37 सुखलिया का निधन दावा पेश होने से पचासो साल पूर्व ही हो चुका है। फिर भी वादी द्वारा मृतक [illegible] वाद कारण अंकित करते हुए मृतक व्यक्तियो का पक्षकार बनाया जाकर दावा पेश किया [illegible] विरूद्व डिक्री प्राप्त की गई है। जो अपास्त योग्य है। दावे मे अंकित प्रतिवादी [illegible] के पिता का नाम अंकित नही किया है जिससे जाहिर है कि रेस्पो/वादी द्वारा पक्षकारो के संदर्भ मे किसी प्रकार की जानकारी नही रही है। मिथ्या कथनो के आधार पर दावा पेश कर साजिशी रूप से दावे मे एक पक्षीय कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:33:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करवाकर मृतक व्यक्तियो के विरूद्व दावा पेश किया जाकर डिक्री प्राप्त की गई है जो निरस्त योग्य है। वादी द्वारा गलत रूप से मृतक व्यक्तियो को पक्षकार बनाया जाकर दावे मे उनके वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही दौराने दावा की गई है जबकि मृतक व्यक्तियो के वारिसान को दावा प्रस्तुत करते समय ही पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत शुरू से ही शून्य था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह कर वादी द्वारा गलत रूप से वाद पेश किया गया है। जो निरस्त योग्य है। वादी द्वारा साजिशी रूप से प्रतिवादीगण संख्या 2,5,6,7,21,23,27,29,38, व 40 की साजिशी तामिल करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करवाई गई है। जबकि उक्त प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल ही नही हुई है। वादी द्वारा कुछ प्रतिवादीगण की साजिशी रूप से समाचार पत्र के जरिये अखबार सियाहा करवाया गया है जबकि प्रतिवादीगण अनपढ व्यक्ति है जिनका समाचार पत्र से जानकारी नही रखते है। प्रतिवादीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सुनवाई का अवसर नही दिया गया क्योकि प्रतिवादीगण को दावे के संबंध मे किसी प्रकार की कोई तामिल नही हुई ना ही कोई जानकारी थी। इस प्रकार प्रतिवादीगण को विना किसी प्रकार के साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही वादी द्वारा विधि के विपरीत एक पक्षीय डिक्री पारित की गई है। जो अपास्त योग्य है। उक्त आराजीयात पर अपीलांट सैकडो वर्षो से काबिज काश्त है। यदि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड मे भूमि से अपीलांटगण को बेदखल कर दिया जावेगा तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। अपीलांट द्वारा भूमि के हितवद्व एवं काबिज व्यक्तियो को पक्षकार बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का के दिनांक 20.4.22 को मौके पर से कब्जा हटाने की कहने पर जानकारी हुई है। जिस पर नकल आदि प्राप्त की जाकर जानकारी के आधार पर अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.21 को अपास्त फरमाया जावे।

अपीलांट अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र खेवट खतौनी संख्या 299 मे वर्णित आराजीयात एवं खेवट खतौनी संख्या 234 मे वर्णित आराजीयात ग्राम उदई कलां की खातेदारी पूर्व मे मंदिर गोपीनाथ जी की खातेदारी की भूमि होने एवं गलती से पुजारी श्यामसुन्दर पुत्र गोवर्धनलाल के नाम लग जाने के कारण उक्त गलती इन्द्राज दुरूस्त कराने तथा मंदिर की भूमि को रेस्पो/प्रतिवादीगण को आधे बटाई पर बता देने तथा बटाईदारो द्वारा आधा बट देने से इंकार करने के कारण वादी द्वारा वाद पेश कर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने एवं प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल करने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे असंयोजन एवं कुसंयोजन के आधार पर मृत व्यक्तियो को प्रतिवादी बनाकर दावा पेश किया गया है। इसके अलावा दौराने दावा मृत पक्षकारो के कायम मुकामान की कार्यवाही नही कर उनके विधिक वारिसान को दावे मे पक्षकार नही बनाया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक देवीचन्द पुत्र [illegible] बैरवा, रामरतन पुत्र श्रवण मीना, काना राम पुत्र श्रवण लाल मीना एवं अन्य पक्षकारो की [illegible] प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है जो पत्रावली मे उपलब्ध है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:41 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

व्यक्तियो के खिलाफ पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है, इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसके कारण अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। इन तथ्यो के मद्देनजर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 136/08 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.21 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक व्यक्तियो के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने की विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 9.6.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 8.4.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested